अवहेलना — एसडीएम द्वारा जमीन के क्रय-विक्रय पर लगाया गया प्रतिबंध, भू-माफियाओं के आगे हो रहा बौना साबित

राजस्व अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रही जमीन की रजिस्ट्री

ब्योहारी, नवभारत। राजस्व विभाग के रहमो करम पर भू माफ़ियाओ ने ब्योहारी क्षेत्र मे चारो तरफ अपना पैर पसार रखा है। हालात यह है कि तहसील के नाक के नीचे ही अवैध रुप से भू माफ़िया द्वारा कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ो मे विक्री कर राजस्व को चूना लगा मालामाल हो रहा है।

ऐसा नहीं है कि अवैध रुप से बिक्री हो रहे प्लाटों की जानकारी राजस्व अमलो को नहीं है पर चांदी के सिक्कों की चमक के आँगे चकचौंध हो चुप्पी साधे हुए है। तभी तो प्रतिबंध के बाद भी भू माफ़िया धड्डल्ले से कृषि भूमि की विक्री कर रहा है और जिम्मेदार अमला हाथ पर हाथ धरे तमासा देख रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि समाचार के बाद भी उस पर कोई ठोस कार्यवाही होता नहीं दिख रहा है।

सूचना का अधिकार के तहत नहीं दी जानकारी

तहसील ब्योहारी अंतर्गत ग्राम मुदरिया की आराजी खसरा न. 4/1/2/1 रकवा 3.0850 हे.और खसरा न. 4/2/1/क रकवा 0.920 हे. अविनाश शुक्ला निवासी रीवा के नाम दर्ज भू अभिलेख है। उक्त कृषि योग्य जमीन को भू माफ़िया अविनाश शुक्ला द्वारा कॉलोनाइजर के नियमों के विपरीत बिना डायवर्सन और रेरा के नियमों का पालन किये बिना धड्डल्ले से जमीन की विक्री की जा रही जिसका समाचार प्रकाशित होने पर तत्कालीन एसडीएम प्रियांसी भंवर द्वारा तहसीलदार ब्योहारी से जांच करा कर प्रतिवेदन के अनुसार कार्यालीन आदेश क्रमांक / प्रवाचक /20-21/551 ब्योहारी दिनांक 01/10/2021 को जारी कर उक्त जमीन के क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया था। इसके बाद भी उक्त जमीन की रजिस्ट्री किसके आदेश पर हो रही है वो समझ के परे है। इतना ही नहीं जमीन के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध हेतु जारी महत्वपूर्ण पत्र भू माफ़िया अविनाश शुक्ला से सांठ गांठ कर वंहा पदस्थ बाबू द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से पत्र सायद गायब कर दिया गया है जो ढूढ़ने पर नहीं मिल रहा है और न ही सूचना का अधिकार के तहत जानकारी दी जा रही है।

जांच करा कर रजिस्ट्री निरस्त किये जाने की मांग

जमीन के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध के बाद से भू माफ़िया अविनाश शुक्ला द्वारा लगभग 10 से 15 रजिस्ट्री करायी गयी है और अभी हाल ही मे 4 से 5 रजिस्ट्री कराये जाने की खबर है जिसके नामांतरण मे यदि रोक नहीं लगायी गयी तो उसका भी नामांतरण हो जायेगा। जिसके लिये समाज सेवियों द्वारा नामांतरण मे रोक लगाये जाने एवं लगाये गये रोक के बाद हुई जमीन की रजिस्ट्रीयों की जांच करा कर निरस्त किये जाने की मांग की है। अब देखने वाली बात है कि समाचार को अनुविभागीय अधिकारी ब्योहारी एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से लेते है और क्या कार्यवाही करते है।

किस्त जमा नहीं करने पर डॉट रहा था पिता, बेटे ने कर दी हत्या

कटनी। कोतवाली थाने की बस स्टैंड चौकी क्षेत्र के कैलवारा ग्राम पंचायत के झुरही टोला में हुई हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के बेटे ने ही कुल्हाड़ी से हमला किया था और मरणसन्न अवस्था में उसे छोड़ कर वहां से फरर हो गया था। जिसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि झुरही टोला निवासी रमेश कोल पर उसके ही बेटे अजय उर्फ अज्जू कोल ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले के बाद अजय फरार हो गया था। इधर कुल्हाड़ी के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए रमेश कोल की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। मामले की विवेचना के दौरान फरार आरोपी अजय कोल को गिरफ्तार कर लिया गया।

आकाशीय बिजली गिरने से महिला की हुई मौत

हर्री की घटना, मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ा

गोहपारू। गोहपारू थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हर्री में गुरुवार को घर मे काम कर रही एक महिला को सुबह करीब 7 बजे आकाशी बिजली गिरने के धमक से मेडिकल कॉलेज शहडोल उपचार के लिए ले जाते समय साधना सिंह पति समय लाल सिंह की मौत हो गई । बता दें कि साधना सिंह अपने घर में घरेलू काम कर रही थी तभी आकाशी बिजली की धमक से साधना सिंह घायल हो गई थी तभी घर वालों की सूचना मिली तभी घर वाले मेडिकल कॉलेज शहडोल ले जा रहे थे तभी रास्ते में अचानक साधना सिंह ने दम तोड़ दिया, इस अप्रत्याशित घटना से परिजनों में शोक की लहर छा गई।

अगस्त माह में भूमि विक्रय पंजीयन में पाई गई अनियमितता

कलेक्टर ने जांच के दिए निर्देश

शहडोल । कलेक्टर डॉ. केदार सिंह नें बताया कि माह अगस्त 2025 में भूमि विक्रय पत्र पंजीयन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार सोहागपुर, गोहपारू, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर को जांच कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश में माह अगस्त में हुये विक्रय-पत्र पंजीयनों की सूची प्राप्त कर गहन परीक्षण उपरांत माह अगस्त, 2025 में किये गये विक्रय-पत्र पंजीयन एवं संदिग्ध विक्रय-पत्र पंजीयन के नामांतरण के पूर्व विक्रेता एवं क्रेता की समक्ष सुनवाई कथन उपरांत ही नामांतरण कार्यवाही की जाये। इस तथ्य की अनिवार्य रूप से पुष्टि की जाये की विक्रेता एवं क्रेता उक्त विक्रय-पत्र से संतुष्ट हैं।ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि जिन भूमियों (भूखण्डों) में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6-क) में विहित प्रावधानों के तहत अनुमति की आवश्यकता होती है, उन भूमियों (भूखण्डों) का भी बिना अनुमति के ही विक्रय-पत्र पंजीयन किया गया है। ऐसे प्रकरणों का भी गहन परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जाए। अनियमित रूप से किये गये विक्रय-पत्र पंजीयन के प्रकरणों का भी गहन परीक्षण कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी जांच करें कि उक्त विक्रय-पत्र पंजीयन के दस्तावेज लेखक कौन-कौन हैं, ताकि उनके विरूद्ध नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

कलेक्टर ने बताया कि कार्यालय को विक्रय पत्र पंजीयन के सबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रमोद कुमार तिवारी, निवासी सोहागपुर द्वारा समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ई रजिस्टर्ड पावर आफ अटार्नी क्र. एमपी 378582024, 4214399 दिनांक 20.02.2024 के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विक्रय-पत्र अथवा अन्य विलेख का पंजीयन न किये जाने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार विक्रय-पत्र पंजीयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में अन्य शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। श्री राजा भंभानी, निवासी बुढ़ार व्दारा समक्ष में शिकायत प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम हड़हा की भूमि आराजी ख.क्र. 42 से 58 तक की रजिस्ट्री माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद उप पंजीयक सोहागपुर श्री सचिन जैन व्दारा सूचना दिये जाने के बाद भी रजिस्ट्री कर दी गयी है।

5 सर्विस प्रोवाइडरों के लायसेंस निरस्त

जिले में भूमि के क्रय-विक्रय एवं उनकी रजिस्ट्री में की गई हेरा-फेरी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के पांच सर्विस प्रोवाइडरों के लायसेंस निलंबित करनें के आदेश दिए हैं। सर्विस प्रोवाइडरों के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से किये गये भूमि विक्रय के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप प्राप्त होने के कारण एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गए हैं।सर्विस प्रोवाइडर का नाम मौहम्मद सैफ अंसारी, अभिषेक कुमार गुप्ता, गंगा सागर सिंह, प्रीति शुक्ला, स्वरूप सरकार, के लाइसेंस निरस्त किए गए।

पितरों की प्रसन्नता हेतु बह रही श्रीमद्भागवत कथा की ज्ञान गंगा

शहडोल। पितरों की प्रसन्नता हेतु स्वयंवर पैलेस में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में यह उपदेश डॉ बृजेश कुमार पयासी द्वारा दिए गए जिसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य जीवन का परम लाभ तभी है जब हम भगवान के नाम को दृढ़ता से स्वीकार कर लें। आज के कथाक्रम में उन्होंने श्री सुकदेव भगवान द्वारा गाई गई श्रीमद् भागवत के विस्तार का वर्णन किया। कथा में यजमान के रूप में चिरायु औषधालय के संयोजक शिव प्रसाद गुप्ता, निर्मला गुप्ता, सह यजमान के रूप में सुरेन्द्र मिश्रा, सुमन मिश्रा, राजबहादुर सिंह बघेल, सरला सिंह बघेल सहित समस्त श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध होकर कथा का रसपान कर रहे हैं।

ऊंचे दाम पर खाद खरीदने मजबूर किसान : अवस्थी

जिले में खाद की समस्या को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

शहडोल। जिले के किसानो को खाद की समस्या के समाधान हेतु जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा कलेक्टर शहडोल को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जिले के किसान भाई खाद के लिए अत्यंत परेशान हैं।

वर्तमान समय में खेती का कार्य तेजी से चल रहा है, किंतु बाजार एवं सहकारी समितियों में खाद की भारी कमी बनी हुई है। समय पर खाद उपलब्ध न होने के कारण किसानों के फसलों की वृद्धि रुक रही है तथा उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। किसान भाई खाद लेने समितियों पर घंटों कतारों में खड़े रहते हैं, फिर भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। कई बार खुले बाजार में ऊँचे दाम पर खाद बेचने की कालाबाजारी की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। जिले में खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा समितियों में पारदर्शी वितरण की व्यवस्था की जाए, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान न हो। उक्त जानकारी जिला कॉंग्रेस कमेटी शहडोल के मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला ने प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी, सुभाष गुप्ता, राकेश कटारे, नीरज द्विवेदी, पूर्व नपा उपाध्यक्ष कुलदीप निगम, महिला जिलाध्यक्ष संध्या सिंह वरिष्ठ कांग्रेसी श्रीनिवास शर्मा, नरेन्द्र मरावी, पूर्व पार्षद प्रभात पाण्डेय, जिला मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष अनुज मिश्रा, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सिराज खान, एनएसयूआई प्रदेश महासचिव आशीष तिवारी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी, शोसल मीडिया जिलाध्यक्ष प्रीतेश द्विवेदी, पार्षद हीरालाल प्रजापति, संजय पटेल, शिक्षक प्रकोष्ठ से नरेश तिवारी, सिंहपुर ब्लाक अध्यक्ष अनूप सिंह, सोहागपुर ब्लाक अध्यक्ष शिव शंकर शुक्ला, ओबीसी जिलाध्यक्ष सत्यनारायण साहू, मनोज गुप्ता, हरिशंकर तिवारी, शोएब अंसारी, कपिल कुशवाहा, राजू सिंह बघेल, सुशील जसवानी, पुष्पराज सिंह दीपक, नईम अहमद, हर्ष मिश्रा, महफूज़ खान, दल प्रताप सिंह, अतुल तिवारी, गोविंद साहू, राकेश द्विवेदी, विमल सिंह,दीपक सिंह, हर्ष गौतम, शुभम सोधिया, अमन तिवारी, महेंद्र यादव,ओम साहू, शिवांशु साहू, कृष्ण सिंह,हर्षित सिंह, त्रिभुवन त्रिपाठी,लालमन जयसवाल, मुबारक अहमद आदि कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

इंटक में गोपाल नारायण सिंह पर खुलेआम लगायें जा रहें चंदा चोरी के आरोप

कौन है चार महिलाएं जिनके खातों में किया गया लाखों का भुगतान

सोहागपुर में फिर हुआ चंदा चोरी

धनपुरी, नवभारत। श्रमिक संगठन इंटक में जब से हाईकोर्ट ने संपत शुक्ला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए गोपाल नारायण सिंह के पक्ष में रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा 4 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है तभी से संपत शुक्ला के समर्थकों में नया जोश एवं उत्साह देखा जा रहा है। गोपाल नारायण सिंह के ऊपर संगठन के चंदे का दुरुपयोग करने के आरोप सोशल मीडिया फेसबुक पर प्रमाणों सहित खुलेआम लगायें जा रहे हैं।

गोपाल नारायण सिंह के गुट के लोगों के पास इन आरोपों के शायद कोई जवाब नहीं है इसलिए उनके गुट में मातम पसरा हुआ है क्योंकि उनके आका और सोहागपुर के काका दोनों की चंदा चोरी अब उजागर हो गई है।

गोपाल नारायण सिंह चंदा चोर है

एसईकेएमसी इंटक नाम के फेसबुक पेज पर गोपाल नारायण सिंह को खुलेआम चंदा चोर बताया जा रहा है। इस पोस्ट पर लिखा गया कि गोपाल नारायण सिंह एवं प्रीतम नाथ पाठक ने एसईकेएमसी इंटक खाते से अपने करीबियों को कई लाख रुपए दे दिए प्रमाण के रूप में बैंक खातों का स्टेटमेंट भी उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि गणेश मिश्रा के नाम से जो पैसा निकला है उसे प्रीतम नाथ पाठक पैसा लिया है। अमरजीत सिंह नाम के व्यक्ति से खुद अमरजीत सिंह एवं कमलेश शर्मा लिया है। अभी कुछ चाटुकार बोलेंगे लेवी दी गई है तो आपको बताना चाहूंगा एसईकेएमसी इंटक का खाता हर एरिया में है कभी भी लेवी किसी के पर्सनल खाते में या नगद प्रदान नहीं की जाती है।

कौन हैं 3 महिलाएं पूंछता है मजदूर

इंटक के खाते से कुछ महिलाओं को भी लाखों रुपया दिया गया है। रिया सिंह को एक लाख तीन हजार रुपए कलावती देवी को 78500 और नाजिया हसन को 1लाख रुपए देने के प्रमाणित आरोप लगाएं जा रहे हैं। गोपाल नारायण सिंह एवं प्रीतम नाथ पाठक के ऊपर अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 के मध्य यूनियन के खाते से 66 से 67 लाख रुपए निकाले गए हैं। इतनी बड़ी रकम का उपयोग किस प्रयोजन में किया गया है इसकी जानकारी आज दिनांक तक किसी भी कार्यकारिणी सदस्य को नहीं दी गई है। गोपाल नारायण सिंह एवं प्रीतम नाथ पाठक के द्वारा यूनियन के खाते से कई लाख रुपए चार महिलाओं के नाम से सीधा पैसा भेजा गया है यह चार महिला कौन है इसका जवाब देने के लिए भी गोपाल नारायण सिंह और प्रीतम नाथ पाठक तैयार नहीं है।

सोहागपुर अध्यक्ष महामंत्री का नाम भी आ रहा चंदा चोरी में

कोयला श्रमिक अपने खून पसीने की कमाई यूनियन को चंदे के रूप में देते हैं लेकिन यूनियन के नेता इस चंदे का कहां.कहां दुरुपयोग करते हैं यह सभी के सामने आ रहा है महिलाओं के खाते में इंटक के इतिहास में शायद पहली बार लाखों रुपया दिया गया हो। सोहागपुर क्षेत्र के महामंत्री अमरजीत सिंह के ऊपर भी खाते में 4 लाख रुपया लेने के आरोप बैंक स्टेटमेंट के साथ लगाए गए हैं फेसबुक पर लिखा गया कि अमरजीत सिंह नामक व्यक्ति से खुद अमरजीत एवं कमलेश शर्मा ने पैसा लिया है। सोहागपुर क्षेत्र के कोयला श्रमिक जो इंटक को अपना समर्थन देकर चंदा देते हैं वह सभी यह जानने को बेकरार है कि यूनियन के खाते से महामंत्री अमरजीत सिंह को 9 जुलाई 2025 को चेक नंबर 636863 से चार लाख रकम दी गई वह आखिर कहां खर्च हुई। चंदा चोरी के प्रमाण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं लेकिन चंदा चोरों की खामोशी चीख.चीखकर कह रही हो कि मजदूरों के खून पसीने की कमाई को बिना हिसाब किताब के जमकर उड़ाया गया है। चंदा चोरी के आरोप कुछ साल पहले हुए कवि सम्मेलन में भी लगे थे जिसकी वजह से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएमडी साहब ने भी कार्यक्रम से दूरी बना ली थी और बैनर पोस्टर में फोटो होने के बाद भी वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए थे।

कानूनी सलाह ले रहे संपत शुक्ला

इस संबंध में जब इंटक के केंद्रीय अध्यक्ष संपत शुक्ला से चर्चा की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि संगठन के चंदे का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया गया है जिसकी हमारे द्वारा पूरी जांच करवाई जाएगी और हम इस मामले पर कानूनी सलाह भी ले रहे हैं आने वाले समय में चंदा चोरों को हिसाब देना पड़ेगा क्योंकि यह कोयला श्रमिकों की मेहनत की कमाई का सवाल है।

संभागीय कराटे चयन स्पर्धा आयोजित

शहडोल । सहायक संचालक खेल रईस अहमद ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शालेय संभागीय कराते चयन प्रतियोगिता का आयोजन शांति देवी विद्यालय शहडोल में किया गया। जिसमें 14, 17, 19, आयु वर्ग, बालक बालिकाओं ने भाग लिया। जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों का उनके वेट कैटेगरी पर चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी 69वीं शालेय राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 14 वर्ष बालक बालिका राज्य स्तरीय कराते चयन प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 सितंबर 2025 तक ग्वालियर में आयोजित होगा। इसी प्रकार 17, 19 वर्ष आयु वर्ग बालक बालिका 4 से 8 अक्टूबर 2025 तक ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा और उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश कराते टीम में चयन किया जाएगा।संभागीय चयन प्रतियोगिता के सफल संचालन में संभागीय प्रशिक्षक अजय चौधरी, शांति देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के खेल प्रशिक्षक रामकिशोर चौरसिया, शिवानी नामदेव, अमृतान्जली पटेल, संजय कंघीकार,साहिल जायसवाल, अंकित कुशवाहा, किशोर साकेत ने भूमिका निभाई। शांति देवी स्कूल के डायरेक्टर राजन शर्मा, प्राचार्या शुभांगी श्रीवास्तव, मैनेजर मोनिका शर्मा ने सहयोग दिया।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चित्रकला स्पर्धा आयोजित

शहडोल। विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ मुकुंद चतुर्वेदी नोडल अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य विभाग जिला शहडोल सत्य प्रकाश जगवानी, समाजसेवी सीमा बानो,सीनियर काउंसलर मानसिक स्वास्थ्य विभाग मीना चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर उमंग तरंग क्लिनिक उपस्थिति रही । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस में बताया गया कि हम किस प्रकार किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं और उसे किस प्रकार जागरुक कर एक सफल जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार राजेश्वर, अक्षत पांडे, भूपेंद्र यादव, द्वितीय पुरस्कार सरस्वती साहू, तृतीय पुरस्कार रानू केवट, सांत्वना पुरस्कार गायत्री अहिरवार, खुशी सिंह, रामकृष्ण सोनी, रश्मि विश्वकर्मा, भारती आदि का रहा ।इस कार्यक्रम में विवेकानंद पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉ. हरीश गुप्ता सीनियर स्टाफ राज किशोर दुबे, मनीष गुप्ता, डॉ. नम्रता पटेल, उमेश सोंधिया, शिवानी सिंह राजपूत, प्रीति विश्वकर्मा, सरिता जायसवाल, शारदा यादव, पूर्णिमा टीकम, सुधा राठौर, आरती राठौर, अर्पित मिश्रा, हर्षित मिश्रा, अंगद कुशवाहा, प्रियंका तिवारी और सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर गोंगपा ने किया प्रदर्शन

तहसीलदार सुषमा धुर्वे को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

जय सिंह नगर निप्र। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर विशाल समूह के साथ क्षेत्रीय समस्याओं मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन बतौर तहसीलदार जयसिंहनगर सुषमा धर्वे को सौंपा । गोंगपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा दीपक सिंह परस्ते के नेतृत्व व तेजप्रताप सिंह उइके प्रदेश संगठन मंत्री के मौजूदगी में प्रदर्शन किया गया। जिसमें क्षेत्रीय मांग 6 बिंदु में रखा गया।

वन अधिकार 2006 के अंतर्गत वन भूमि पर काबिज़ परिवार को अधिकार पत्र दिलाए जाने की मांग तथा जयसिंहनगर थाना एवं सीधी थाना क्षेत्रअंतर्गत अवैध रूप से पशु तस्करी रोके जाने तथा घर.घर मोहल्ले मोहल्ले में अवैध शराब बिक्री एवं भारी मात्रा में मादक पदार्थों की बक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा ग्राम पंचायत कुदरी में चरनोई शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसका खसरा कमांक 497६१ मध्यप्रदेश शासन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए 5 से 6मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार श्रीमती धुर्वे एवं नायब तहसीलदार श्री सिंह ने ज्ञापन लेते हुए आश्वासन देते हुए श्रीमती सुषमा धुर्वे ने कहा की हम प्रशासन की ओर से आपके मांगों को ऊपर पहुंचाएंगे। तथा जो भी स्थानीय समस्या हमारे कार्य क्षेत्र अंतर्गत है उसे हम शीघ्र से शीघ्र निदान करेंगे तथा वैसे भी तहसीलदार श्रीमती सुषमा धुर्वे जब से पदभार ग्रहण की है। तब से तहसील संबंधित समस्याओं का तोरित निराकरण करने का भरसक प्रयास करती चली आ रही है । ज्ञापन सौपते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में उपस्थित थे।

परिषद की बैठक में विकास कार्यों को लेकर हुए अहम फैसले

शहडोल। नगर पालिका परिषद शहडोल में गुरूवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वैशाली नीलम सिंह ने की। इस बैठक में उपाध्यक्ष प्रतीक्षा वर्मा सहित अन्य सदस्य और अधिकारीगण मौजूद थे।

बैठक में मुख्य रूप से आगामी विकास कार्यों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए ।झूला पुल से ए.डी.जी बंगले वाली रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने। इन्द्रा चौक से बस स्टैण्ड तक रोड निर्माण। एम.एल.बी. स्कूल से रेल्वे फाटक वाली पूर्ण कराने। अमृत 2.0 योजना का कार्य समयसीमा में पूर्ण कराने। सप्ताह में 1 दिवस नगर के वार्डों में भ्रमण एवं आम जनमानस की समस्या का निराकरण करने। विद्युत विभाग से बिना नगर पालिका से एन.ओ.सी. जारी किये गये कनेक्शनों की जानकारी प्राप्त करने एवं अवैध विद्युत कनेक्शन कनेक्शन पर नियंत्रण करने। शासन की योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने। हितग्राहियों को सिंगल विण्डो से लाभ दिलाने। नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत विकास कार्यों का प्लान 5 वर्ष के हिसाब से तैयार कर उसी प्लान अनुसार आवश्यकतानुसार सड़क, जल निकासी, विद्युतीकरण आदि कार्य की रुपरेखा तैयार कर क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की करने एवं बजट आरक्षण के प्रयास। मुडना नदी के पास घाट निर्माण कराने। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियों के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन की कार्यवाही कराई जावे एवं पट्टा दिलाया जाकर योजना का लाभ दिया जावे। जिन प्रकरणों में नामांतरण/बटवारा संबंधी कार्यवाही लंबित उनको राजस्व विभाग से समन्वय कर यथाशीघ्र पूर्ण करावें एवं लाभ दिलावें तथा बैंक के माध्यम से समन्वय स्थापित कर सब्सिडी स्कीम का लाभ पात्रता अनुसार हितग्राहियों को लाभ दिलाने सहित नगर में अवैध निर्माण के संबंध में निर्देश दिया गया कि अवैध निर्माण को रोकते हुए विशेषकर नालों में हो रहे अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावे। नगर पालिका के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है।इस बैठक में, अध्यक्ष ने अधिकारियों को सभी कार्यों को समय पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।